न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण/सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र संख्या 04/24 **वर्ष 2024**

बउनवानीः—राजू पुत्र देवाजी जाति गुर्जर निवासी बुढेरा तहसील कराहल जिला श्योपुर

बनाम

1. सरकार जरिये थानाधिकारी थाना रवॉजना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र विरूद्व मुकदमा संख्या 285/23 थाना रवॉजना डूंगर, अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौवंशीय पशुवध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन नियम 1995)

उपस्थितः—श्री कमलेश गुर्जर — वकील प्रार्थी

श्री तोफिक मोहम्मद — पैरोकार

—:निर्णय :— दिनांकः— 14.2.2023

वकील प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थी अपने गांव में गो पालन का कार्य करता है तथा गायो की नस्ल सुधार हेतु अच्छी नस्ल के 4 नंदी प्रजनन हेतु दिनांक 12.12.2023 को ग्राम आवदा व पचेवर जिला टोंक से खरीद कर सोराम पुत्र जग्गा गुर्जर के वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ26GA5476 से अपने गांव लेकर जा रहा था किन्तु श्री सुग्रीव चौधरी गो सेवा दल कुश्तला की सूचना पर उक्त पिकअप मे क्षमता से अधिक गो वंश भरकर गोकशी के लिए ले जाने का निराधार आरोप लगाते हुए पुलिस थाना रवॉजना डूँगर द्वारा उक्त पिकअप एवं गोवंश को जब्त कर लिया है। जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त 4 नन्दी मे से दो नन्दी हीरालाल पुत्र बिजू माली निवासी ग्राम पचेवर तहसील मालपुरा टोंक क्रमश 20,000/—रू एवं 15,000/—रू मे तथा अन्य दो नन्दी रामचरण पुत्र बिरधा जाट निवासी आवडा तहसील मालपुरा जिला टोंक से 55,000/—रू मे खरीद कर लाये गये है। प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में हीरालाल व रामचरण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सवाईमाधोपुर से तलब की गयी रिपोर्ट में भी उक्त नन्दी को प्रजनन हेतु ले जाया जाना बताया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बुढेरा द्वारा भी राजू के परिवार गो पालन करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चूंकि प्रार्थी उक्त नंदी प्रजनन हेतु लेकर जा रहा था इसलिए उक्त जब्त किये गये 4 नन्दी को सुपुदर्गी में दिये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैराकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि थानाधिकारी रवॉजना डूँगर द्वारा दिनांक 12.12.2023 को जब्त किये गये उक्त 4 नन्दी को लेकर जाने से संबंधित कोई परमिट प्रार्थी के पास नही है किन्तु पशुपालन विभाग सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नंदी नस्ल सुधार हेतु प्रजनन के लिए लेकर जाना पाया गया है। नंदी के विक्रेताओ के शपथ पत्र एवं प्रार्थी की ग्राम पंचायत बुढेरा का प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त नन्दी गोकशी के लिए नही ले जाये जा रहे है इसलिए उक्त 4 नन्दी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने एवं गोशाला मे अब तक के चारा—पानी पर हुए खर्चे को जमा करवाने की शर्त पर प्रार्थी की सुपुदर्गी मे दिया जाना उचित होगा।

उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग सवाईमाधोपुर से तलब की गयी रिपोर्ट में उक्त 4 नन्दी प्रार्थी राजू द्वारा प्रजननं हेतु खरीद कर ले जाना बताया गया है। इसलिए पुलिस द्वारा प्रार्थी पर लगाये गये गोकशी के आरोप प्रमाणित नही होते है। इसलिए उक्त चारो नन्दी को प्रार्थी क्लेमेंट की सुपुदर्गी में इस शर्त पर दिया जाता है कि प्रार्थी उक्त द्वारा चारों नन्दी के चारा पानी का भुगतान संबंधित गौशाला को किया जा[illegible] इस न्यायालय को प्रस्तुत करेगा। उक्तानुसार थानाधिकारी रवॉजना डूँगर को उक्त 4 न[illegible] प्रार्थी की सुपुदर्गी मे दिये जाने हेतु तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसला शुमार [illegible] से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। निर्णय आज दिनांक [illegible]2024 को खुले न्याया[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:08:32 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner